

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2017/आश्विन 5, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 360]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASWINA 5, 1939	[N.C.T.D. No. 270

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/2870-2878.—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 3 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल तथा सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ दिल्ली के लिये सरकारी वकील/काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. सुश्री रचना श्रीवास्तव, वकील
2. श्री पुनीत अग्रवाल, वकील
3. सुश्री दीपिका, वकील
4. सुश्री मिनी पुष्करना, वकील
5. श्री राजेश कुमार शर्मा, वकील
6. श्री सिद्धार्थ पांडा, वकील

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्त है। नियुक्ति विधि, न्याय एवं विधायी विभाग तथा समय-समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 5(2)/07/वि0/303-310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

SERVICES DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th September, 2017

No. F. 20/13/2017/S-I/Lit/2870-2878.—In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Government Pleaders/Counsels for the High Court of Delhi at New Delhi and the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it.

1. Ms. Rachna Srivastava, Advocate
2. Sh. Puneet Agarwal, Advocate
3. Ms. Deepika, Advocate
4. Ms. Mini Pushkarna, Advocate
5. Sh. Rajneesh Kumar Sharma, Advocate
6. Sh. Siddhartha Panda, Advocate

This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force until further orders.

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No. F. 5(2)/07/Lit./303-310, dated 18th March, 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/2879-2887.—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 3 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में श्री यीशु जैन, एम-13ए, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-14 को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ दिल्ली के लिये स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

श्री यीशु जैन, स्थायी काउंसिल के रूप में अधिवक्ता की नियुक्ति दिनांक 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फ. 5/10/91/वि./1345 तथा समय-समय पर यथाविनिर्धारित में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डी. कार्तिकेयन, उप सचिव (सेवाएँ)

No. F. 20/13/2017/S-I/Lit/2879-2887.—In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Yeeshu Jain, M-13A, 1st Floor, Jangpura Ext., New Delhi-14 as Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi and the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by him.

This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force until further orders.

The appointment of Shri Yeeshu Jain, Advocate as Standing Counsel is subject to terms and conditions as contained in notification No. F. 5/10/91-Lit./1345, dated 26th February, 1992 and also as may be prescribed, from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
D. KARTHIKEYAN, Dy. Secy. (Services)